(6)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 / / निगरानी / 2017–18

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/1749

1– महेन्द्र विश्वकर्मा आ0 श्री गुरूचरण विश्वकर्मा
2– वीरेन्द्र विश्वकर्मा आ0 श्री गुरूचरण विश्वकर्मा
3– दशरथ कुमार विश्वकर्मा आ0 श्री गुरूचरण विश्वकर्मा
4– जालन्धर विश्वकर्मा आ0 श्री गुरूचरण विश्वकर्मा
5– तुलसीराम विश्वकर्मा आ0 श्री गुरूचरण विश्वकर्मा
समस्त वयस्क एवं निवासीगण–विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज,
लोको गेट के सामने, छोला रोड, भोपाल ––निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1– श्रीमान कमिश्नर नगर निगम भोपाल
2– म0प्र0 शासन द्वारा–श्रीमान कलेक्टर
पुराना सचिवालय, जिला–भोपाल ––अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण श्रीमान कलेक्टर भोपाल के प्र0क्र0 3 / स्व.निगरानी / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 (जो कि न्यायलय तहसीलदार वृत शहर भोपाल के प्र.क्र.87/अ-6/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 30.04.2004, न्यायलय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजुर, जिला-भोपाल के प्र.क्र.-18/अपील/ 2003-04 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2004, न्यायलय अपर कमिश्नर भोपाल के प्र.क्र. 178/अपील/2004-05 मे पारित आदेश दिनांक 23.07.2007, *एवं* न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नजूल वृत्त शहर भोपाल के प्र0क्र0 18 / अ–6 / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2008 से उद्भूत है) से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2017/1749

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-4-18	निगरानी अधिवक्ता श्री डी0डी0मेघानी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-8-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी 5 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन व तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण आदेश के लिये सुरक्षित रखा गया था और आदेश पारित करने हेतु कोई दिनांक नियत नहीं की गई थी जो कि समाधानकारक कारण नहीं माना जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी को स्वयं आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय से लेना चाहिये थी । जहॉ तक गुणदोष का प्रश्न है अपर तहसीलदार द्वाराअपूर्ण जॉच कर मात्र आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जिसमें तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण होने से आयुक्त द्वारा तहसीलदार को आवश्यक जॉच कर आवेदकगण एवं नगर निगम भोपाल को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश देने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अत: प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	